न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—341/2016/223 (2016/00341)

1. श्रीमती कानीदेवी पुत्री उदानाथ पत्नि शम्भूनाथ, जाति नाथ, नि0 आमली तन देवलिया, तह0 देवली, जिला टोंक ।
2. श्रीमती पांची पुत्री स्व0 धन्नानाथ पत्नि लालानाथ, जाति नाथ, निवासी हिंगोनिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. लहरीनाथ पुत्र स्व0 धन्नानाथ, जाति नाथ, नि0 बीरवाड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. समरथनाथ पुत्र बन्नानाथ,
2. राजेन्द्र उर्फ राजूनाथ पुत्र बन्नानाथ,
3. धापू पत्नि बन्नानाथ,
4. पार्वती पत्नि बन्नानाथ,
5. नन्दानाथ पुत्र उदानाथ,
6. हीरानाथ पुत्र मोडूनाथ (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— भूरानाथ पुत्र हीरानाथ,
   6/2— प्रकाशनाथ पुत्र हीरानाथ,
   6/2/1—कमला पत्नि प्रकाशनाथ,
   6/2/2—नवल कुमार नाथ पुत्र प्रकाश नाथ,
   6/2/3—पूजा पुत्री प्रकाश नाथ पत्नि नितेश नाथ,
   जाति नाथ, नि0 कालेड़ा, कृष्णगोपाल, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
   6/3— लक्ष्मण नाथ पुत्र हीरनाथ,
   6/4— श्रीमती भूरी पुत्री हीरानाथ पत्नि दुर्गानाथ, जाति नाथ, निवासी छीपा मौहल्ला, बगरू, तह0 बगरू, जिला जयपुर ।
   6/5— श्रीमती अमरती पत्नि हीरानाथ,
7. श्योजीनाथ पुत्र धन्नानाथ,
8. महावीर नाथ पुत्र धन्नानाथ,
9. समन्दर नाथ पुत्र धन्नानाथ,
10. सागरनाथ पुत्र धन्नानाथ,
11. लाली पुत्री धन्नानाथ,
    जाति नाथ, निवासी बीरवाडा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
12. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, केकड़ी जरिये प्रबंधक ।
13. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, केकड़ी, जिला अजमेर जरिये प्रबंधक ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 9.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 72/2016.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 से 11 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 14.

निर्णय

दिनांकः— 31.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वर्तमान अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 14 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीरवाडा, तह0 केकड़ी स्थित सारणी—अ में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 61 पुराने 50 कुल किता 22 कुल रकबा 7.82 है0 में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, उदानाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/2 हिस्सा निहित है । इसी प्रकारण सारणी—ब में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 62 पुराने 49 कुल किता 6 कुल रकबा 1.53 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा, उदानाथ का 1/4 हिस्सा, मोडूनाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/4 हिस्सा निहित है एवं सारणी—स में अंकित आराजियात खाता संख्या नये 194 पुराने 162 कुल किता 7 कुल रकबा 2.56 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 का 1/6 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 का 1/3 हिस्सा तथा हीरानाथ पुत्र मोडूनाथ का 1/4 हिस्सा तथा धन्नानाथ का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त आराजियात का आज दिनांक न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है, हालांकि सभी पक्षकारान के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है जिसका नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 11 मूल्यवान एवं उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर विक्रय करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार विधिक बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 9.6.2016 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 के समख वाद पत्र दिनांक 6.4.2016 ाके पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गए एवं आगामी पेशी दिनांक 23.5.2016 की पत्रावली कैम्प कोर्ट में रेफर करने बाबत् आदेशित कर दिया गया तत्पश्चात् दिनांक 9.6.2016 को कैम्प कोर्ट में पेशी नियत की जहां पर प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 व 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर वादीगण एवं शेष रेस्पो0 तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादपत्र के सभी पक्षकारान यथा समस्त वादीगण एवं समस्त प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत करने के बाद तस्दीक राजीनामा ही प्राथमिक डिक्री जारी की जा सकती थी लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में मात्र चार प्रतिवादीगण उपस्थित हुए जिनके द्वारा वादीगण के साथ दुर्भिसंधी कारित की गई थी, उनके

अतिरिक्त समस्त वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण जानकारी के अभाव में अनुपस्थित होने के बावजूद एवं राजीनामा नहीं करने के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा तथाकथित राजीनामें के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो प्रथम दृष्टया ही न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 9.6.2016 को मुर्तिब प्राथमिक आज्ञाप्ति में ही बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट की भांति पृथक–पृथक बंटवारा कर दिया गया एवं प्राथमिक डिक्री के निर्णय के अंतिम पैरा में कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने हेतु भी आदेश पारित कर दिया गया एवं दिनांक 18.8.2016 को आगामी पेशी नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 25.7.2016 को ही पुटअप की जाकर अंतिम आज्ञाप्ति जारी कर दी गई । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 20 जा0दी0 के प्रावधानों को पूर्णतया नजरअदांज कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2019 पेज 312, 320, ए0आई0आर0 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 1139, डी0एन0जे0 1996 राज0 हाई कोर्ट पेज 1, आर0बी0जे0 1995 पेज 668 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रार्थीगण के उपस्थित हुए बिना राजीनामे के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो प्रथम दृष्टया शून्य है जिस पर मियाद कानून लागू नहीं होता है । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.8.2016 को अप्रार्थीगण द्वारा डिक्री अनुसार हिस्से में आई आराजी पर ही कृषि कार्य करने के लिए कहने पर हुई तब दिनांक 12.8.2016 को केकड़ी जाकर अधिवक्ता श्री शिवप्रताप सिंह से मिले जिन्होंने उसी दिन जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा उसी दिन नकले प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 5 व 7 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष जानबूझकर अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016–2017 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय की अपील पोषणीय नहीं है । अतः अपील निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा दौराने कैम्प भराई दिनांक 9.6.2019 को अपीलांटस कानीदेवी, पांची एवं लहरी नाथ की अनुपस्थिति में बिना उनकी सहमति एवं राजीनामा प्राप्त किये एवं वाद के अन्य पक्षकारान की सहमति व राजीनामे के दिनांक 9.6.2016 को प्रस्तुत अपूर्ण राजीनामे के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.2016 के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान के हिस्से घोषित करने के स्थान पर अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर ही आवंटित कर दिये जो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2016–2017 पेज 714 तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.2016 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर